

मूल वाद में डिप्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उपवान

वनाम

कमला

उत्तर सिंह आदि

दाया बाबत :- 88 RTA Act

मुकदमा नम्बर :- 313/2021

निर्णय दिनांक :- 02-11-2021

वादी की ओर से वकील गैरेश्वर शर्मा की व प्रतिवादी सं0.1.9.2 की

ओर से वकील रामभूति तारवर की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-11-2021

को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने

पर आदेश दिया जाता है कि राधा मोजा उमडी के खाता सं. 22/32 के खसरा

सं 162 की 2.93340 है, खसरा सं. 66 की 7.3330 है कुल 10.26640 है

वाराही खातेवारी लक्ष्मी ग्रीष्मि की पति स्व. गैरेश्वर प्रतिवादी सं-1

उत्तर सिंह व प्रतिवादी सं-2 विनोद कुमार के नाम समुक्त रूप से प्रविस्ता

राफख रिलाई के वजह से स्व. गैरेश्वर का नाम कलमपत्र

लिखा जाना उसके स्थान पर वादीया कमला को खातेदार

का शतानुसार घोषित किया जाता है यदि लक्ष्मी ग्रीष्मि के

रखन से तो रखन मुक्त होने के उपरान्त ही राफख रिलाई से

मुफ्त दरामद किया जावे। राधीनामा को डिप्री का गांठ पढ़ा

जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिप्री आज दिनांक 02.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

(शिविर प्रशासक) A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक प्रशासक)

प्र.गा. के संग अ-2021

भादरा जिला हनुमानगढ़

२/11/2021